न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 23/2017

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 रघुवीर सिंह पिता नवलसिंह माता श्रीमती मंगेज कवंर चारण निवासी करणवास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा।
2 दुर्जन सालसिंह पिता नवलसिंह माता श्रीमती मंगेज कंवर चारण निवासी करणवास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा।
3 श्रीमती मनोहर कंवर पुत्री नवलसिंह मात श्रीमती मंगेज कंवर चारण निवासी करणवास पत्नी देवीसिंह जी सोदा चारण हाल निवासी आंतरी तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द।
4 श्रीमती गोपाल कंवर पुत्री नवलसिंह माता श्रीमती मंगेज कंवर चारण निवासी करणवास पत्नी सवाईसिंह जी चारण हाल निवासी करणी उद्यान झोटवाड़ा जिला जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1 कैलाश नारायण सिंह पिता भागीरथसिंह चारण रामदास का बास तहसील खण्डेला जिला सीकर।
2 पटवारी हल्का मलिकपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर।
3 उप पंजियक खण्डेला जिला सीकर।
4 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश श्रीमान जयवीर सिंह कालेर
उपखण्ड अधिकारी खण्डेला दिनांक 22.02.2017
प्रकरण सं. 30/15 प्रार्थना पत्र अपील अ.धारा 225 रा.टी.ए.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थित

1. श्री रामेश्वर लाल बिजारणीय अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सावंरमल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–29-1-19

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा प्रकरण संख्या 30/2015 में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट ने आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर 1/113,2/112,3/111,4/110,5,28, 32,33/101,34,35,48/108,49/109,50,63,64,68/102,69/103,70,72, 74,75,76,77,79,81102/06,103/06 वाके ग्राम रामदास का बास पटवार हल्का मलिकपुर प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद उभयपक्ष को विवादित भूमि की राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत कुर्सीनामे के अनुसार अमरदान का हिस्सा गलत है अमरदान को ग्राम हणुतिया चौमु में बाला बक्स के गोद जाना बताया गया है। बाला बक्स के जोरावर सिंह नाम का पुत्र होना वोटर लिस्ट से साबित है अमरदान का गोद जाना किसी साक्ष्य से साबित नही है। खसरा गिरदावरी में लगातार काश्त दर्ज आ रही है विचारण न्यायालय ने अपीलांट को पाबन्द करने में विधिक त्रुटि की है। अपीलांट अपने नाना की विरासत का नामान्तकरण करवाने का अधिकारी है अपील

उप-खण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

स्वीकार की जाकर विचाराधीन निर्णय अपास्त कर रेस्पोडेंट को पाबन्द किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट के टीआई आवेदन के जवाब में अपीलांट ने कोश टीआई पेश की थी। विचारण न्यायालय ने दोनो आवेदनों का निर्णय विचाराधीन एक ही आदेश से किया है अपीलांट ने दोनों की अपील भी एक ही की है। जो विधि विरूद्व है अलग–अलग पेश करनी चाहिए थी। पक्षकार आशकरण विचारण न्यायालय में पक्षकार था उसे अपील न्यायालय में पक्षकार नही बनाया है इसके अभाव में अपील खारिज योग्य है। अमरदान गोद गया या नही गया यह साक्ष्य के उपरान्त मूल वाद में तय होना है इससे पूर्व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने में किसी पक्षकार को कोई नुकसान नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2015 (1) डब्ल्यू एल.सी. (राजस्थान) पेज 448 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों के मध्य अमरदान की विरासत की भूमि का विवाद है। अपीलांट का कथन है कि अमरदान का हक हिस्सा है व गोद नही गया अपीलांट विरासत का नामान्तकरण खुलवाने का अधिकारी है इसके विपरित रेस्पोडेंट का कथन है कि अमरदान बालाबक्स के गोद चला गया था अपीलांट उसकी विरासत के आधार पर नामान्तकरण खुलवाने का अधिकारी नही है। प्रस्तुत प्रकरण में स्वामित्व का विवाद है इसका निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य के उपरान्त तय होना शेष है। विचारण न्यायालय ने इसे दृष्टिगत

Lavio
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रखते हुये विवादित भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये उभयपक्ष को पाबन्द किया है। इस सन्दर्भ में रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2015(1) डब्ल्यू एल.सी. (राजस्थान) पेज 448 में माननीय उच्च न्यायायल पीठ जयपुर ने अभिनिर्धारित किया है कि " **Civil Procedure Code, O.39, Rr. 1,2- Temporary injunction against both parties - propriety - Both parties claiming title to property- Ownership disputed - Question of fact can be decided only on basis of evidence - in view of prevailing antagonism between parties and in order to balance confilict of interest impugned order justified in restraining both parties by direction them to maintain status quo.**

इस न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय से उभयपक्ष को रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किये जाने को हम विधि सम्मत पाते है एवं इसमें कोई हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29-3-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

29.3.19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर